बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार तथा डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय और वित्तीय मामले मंत्रालय, डेनमार्क राज्य के बीच समझौता ज्ञापन

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत और डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (डीकेपीटीओ), डेनमार्क (जिन्हें इसमें इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षकारों", और जब अलग-अलग रूप से संदर्भित किया जाए "पक्षकार" कहा जाएगा);

डेनमार्क और भारत गणराज्य की आम जनता और सरकारों के मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए;

आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक भागीदारी की पुन:पुष्टि की आकांक्षा करते हुए;

परस्पर लाभ के लिए नवप्रयोग, रचनात्मकता प्रौद्योगिकीय उन्नति, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और आईपी जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करके राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणालियों के विस्तार और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए;

पेटेंट, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतकों के लिए प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने और आईपी जागरुकता को बढ़ावा देने के महत्व को ध्यान में रखते हुए;

निम्नलिखित समझौते पर पहुँचे हैं:

I. उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (जिन्हें इसमें इसके बाद "एमओयू" कहा जाएगा) का उद्देश्य बौद्धिक संपदा (आईपी) और इस क्षेत्र में सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में पक्षकारों के बीच सहयोग कार्यकलापों को विकसित और सुदृढ़ करने हेतु एक व्यापक और सुनम्य तंत्र की स्थापना करना है।

II. सहयोग के क्षेत्र

इस एमओयू में संदर्भित सहयोग कार्यकलापों को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा सकता है:

क) दोनों देशों की आम जनता, प्राधिकारियों, व्यवसायों और अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के बीच आईपी जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान का आदान-प्रदान;

ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञों की सेवाओं के आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और आउटरीच गतिविधियों में सहयोग, जैसा कि पक्षकारों के बीच द्विवार्षिक योजना में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

ग) उद्योग, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों, प्राधिकारियों तथा लघु व मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के साथ पक्षकारों द्वारा इस संबंध में एकल या संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों और आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान का आदान-प्रदान और प्रचार-प्रसार।

घ) पेटेंट, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक, साथ ही आईपी अधिकारों के संरक्षण, प्रवर्तन और उपयोग हेतु आवेदनों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं संबंधी सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान;

ङ) आईपी के संबंध में ऑटोमेशन के विकास और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन, नए दस्तावेजीकरण और सूचना प्रणाली तथा आईपी प्रबंधन की प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग;

च) पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने की समझ; पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डेटाबेस के उपयोग और मौजूदा आईपी प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संबंध में सहयोग;

छ) आईपी मूल्यनिर्धारण और मूल्यांकन जैसी वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ आईपी से संबंधित मुद्दों के बारे में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, ताकि आईपी के कार्यान्वयन, व्यापार और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके;

ज) अन्य सहयोग कार्यकलाप जिन पर पक्षकारों द्वारा आपसी समझ के साथ निर्णय लिया गया हो।

इस एमओयू का प्रचालन, इस पैरा में दिए गए सभी क्षेत्रों में परियोजनाओं को विकसित करने और सहयोग की पद्धतियों के लिए पक्षकारों को बाध्य नहीं करता है।

III. दक्षता

पक्षकार अपने संबंधित क्षेत्राधिकरों, लागू कानूनों और बहुपक्षीय संधियों, जिसमें दोनों पक्षकार हैं, का पूर्ण अनुपालन करते हुए सहयोग कार्यकलापों को निष्पादित करेंगे।

IV. कार्य योजना

पक्षकार द्विवार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन करने के लिए सहमत हैं जो इस एमओयू के पैरा-II के अनुसार उनके सहयोग के विशिष्ट पहलुओं को निर्धारित करेगी।

प्रत्येक कार्य योजना में सहयोग कार्यकलापों के कार्य निष्पादन के बारे में पूर्वानुमान शामिल होंगे, जिसमें कार्यक्षेत्र, प्रबंधन, संसाधन सौंपने, मानव संसाधनों का आदान-प्रदान, समय अनुसूची और पक्षकारों द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी जानकारी शामिल है।

V. निगरानी तंत्र

पक्षकार, संयुक्त समन्वय समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस एमओयू के कार्यान्वयन से प्राप्त मामलों का मूल्यांकन करने के लिए, आवश्यकताओं के अनुसार, परस्पर रुप से जितनी बार सहमत हों, उतनी बार बैठक करने का भरसक प्रयास करेंगे।

VI. वित्तपोषण

पक्षकार अपने संबंधित बजट में निर्दिष्ट संसाधनों, उनकी उपलब्धता, बजटीय मूल्यांकन और उनके राष्ट्रीय विधान के प्रावधानों के अध्यधीन, सहयोग कार्यकलापों का वित्त पोषण करेंगे।

पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इस एमओयू के तहत सहयोग कार्यकलापों पर होने वाले सभी व्यय को, पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति के अनुरुप वित्त पोषित किया जाएगा, सिवाय ऐसे मामले कि जब विशिष्ट कार्यकलापों के लिए वैकल्पिक निधीयन तंत्र उपलब्ध हो, जैसा कि पक्षकारों द्वारा उचित माना गया हो।

कार्मिकों के आदान-प्रदान के विशिष्ट मामले में, पक्षकारों को इस कार्यकलाप में लागू होने वाली शर्तों को, लिखित रूप में, निर्धारित करना होगा।

VII. जानकारी साझा करना और प्रकाशन

पक्षकार, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां राष्ट्रीय कानून या ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष ने इसके उपयोग या प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया हो, स्वतंत्र रूप से इस एमओयू के फ्रेमवर्क के भीतर सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

यदि एक पक्ष द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय है, तो दूसरे पक्ष को लिखित रूप में ऐसी जानकारी की प्रकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। इस तरह के किसी भी सूचना के अभाव में, पक्षकार इस एमओयू के तहत साझा की गई जानकारी को गोपनीय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

किसी भी परिस्थिति में, दूसरे पक्ष की लिखित पूर्व-सहमति के बिना, प्रतिबंधित जानकारी को किसी भी पक्ष द्वारा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

कार्य योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उपलब्ध जानकारी, दूसरे पक्ष द्वारा लिखित सहमति देने पर ही प्रकाशित या तीसरे पक्ष को प्रकट की जाएगी।

VIII. विधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौते

यह एमओयू संबंधित देशों के सभी लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन होगा। इस एमओयू से उन मौजूदा समझौतों अथवा ज्ञापन के अंतर्गत पक्षकारों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें ये पक्षकार पहले से ही शामिल हैं।

IX. विवाद का निपटान

इस एमओयू के कार्यान्वयन, व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उठने वाले किसी विवाद का निपटान पक्षकारों के बीच परस्पर परामर्श से सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

X. श्रम संबंध

इस एमओयू में निर्धारित सहयोग कार्यकलापों के विकास के लिए, किसी पक्ष के कार्मिक उस संस्थान के निर्देश और प्राधिकार के अधीन बने रहेंगे, जिससे वे संबंधित हैं और इसलिए दूसरे पक्षकार के साथ कोई रोजगार संबंध सृजित नहीं किया जाएगा, जिसे, किसी भी परिस्थिति में चाहे वे जैसी भी हों, कि उस पर एक प्रतिस्थापन नियोक्ता के रूप में विचार किया जाए।

पक्षकार, इस एमओयू के तहत आधिकारिक तौर पर सहयोग परियोजनाओं में शामिल होने वाले कार्मिकों को अपने संबंधित देशों में, लागू कानूनों, नियमों और नीतियों के अधीन आवागमन और ठहरने की सुविधा प्रदान करेंगी। यह सुविधा, सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से सहायता के रुप में होगी, लेकिन किसी विशेष गतिविधि के लिए विशेष रूप से सहमत होने के मामले को छोड़कर, मेजबान देश के प्रतिभागियों

की ओर से कोई व्यय नहीं करेगा। कार्य कर रहे कार्मिक मेजबान देश में लागू अप्रवासन, सीमा शुल्क, कर, स्वास्थ्य-स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के अध्यधीन होंगे और ऐसी किसी भी अन्य गतिविधि में भाग नहीं लेंगे जो उनके कार्य से संबंधित न हो। कार्य कर रहे कार्मिक मेजबान देश के कानून और विनियमों के अनुरुप ही देश छोड़ेंगे।

XI. अन्तिम प्रावधान

क) यह एमओयू इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और चार (04) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। उक्त आरंभिक अवधि के पश्चात, इस एमओयू के अंतर्गत सहयोगपूर्ण गतिविधियों की पक्षकारों द्वारा समीक्षा करने और उसके परिणामों के अध्यधीन, यह एमओयू स्वत: ही अगले प्रत्येक चार वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा, जब तक कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को, वर्तमान चार-वर्ष की अवधि के समाप्त होने से कम-से-कम 90 कैलेंडर दिवस पूर्व, नोटिस देकर एमओयू को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त न करे।

ख) यह एमओयू, लिखित संप्रेषण के आदान-प्रदान द्वारा औपचारिक रूप से, उसके लागू होने की तारीख निर्दिष्ट करते हुए, पक्षकारों के साझा निर्णय द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

ग) कोई भी पक्ष कम से कम नब्बे (90) दिनों की सूचना के साथ, इस एमओयू में अपनी भागीदारी को समाप्त करने के अपने निर्णय के संबंध में, दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

घ) इस एमओयू के तहत इस सहयोग को पहले समाप्त किया जाना, सहयोग के दौरान निश्चित कार्य योजना के तहत तय किए गए किसी भी सहयोग कार्य के पूरा किए जाने को प्रभावित नहीं करेगा।

ङ) यह एमओयू अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पक्षकारों के लिए किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों या संबंधित अधिकारों का सृजन नहीं करेगा।

संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत किए गए अधोहस्ताक्षरी, जिनके साक्ष्य में, इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

दिनांक 26.09 2020 को नई दिल्ली में अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, और दोनों पाठ समान रुप से प्रामाणिक हैं। दोनों भाषाओं के पाठ की व्याख्या में अंतर होने पर अंग्रेजी भाषा प्रामाणिक होगी।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत गणराज्य की ओर से

गुरूप्रसाद महापात्र
सचिव

डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय और वित्तीय मामले मंत्रालय,

डेनमार्क राज्य की ओर से

फ्रेडी स्वेन
डेन्मार्क के राजदूत